न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठुमर, अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर0ए0एस)

प्रकरण संख्या– 12/7/2024

जीसीएमएस– 2024/469

दायर दिनांक– 12.07.2024

निर्णय दिनांक– 07.03.2025

1. प्रमोद शर्मा पुत्र श्री हरिकिशन जाति ब्राहम्ण निवासी टिटपुरी तहसील कठूमर, अलवर।

......अपीलाण्ट

बनाम .

1. ग्राम पंचायत टिटपुरी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत टिटपुरी पंचायत समिति कठूमर, अलवर।

..... असल रेस्पोडेंण्ट

<u>अपील विरूद्व आदेश दिनांक 19.03.2020 विरासत इन्तकाल संख्या 2247 ग्राम टिटपुरी ग्रा. पं. टिटपुरी कठूमर अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956</u>

उपस्थिति–1.श्री लालचन्द फौजदार अधिवक्ता अपीलाण्ट

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में अपील विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 751, 752, 753, 754, 755, 756, 872, 873, वाके ग्राम टिंटपुरी ग्राम पंचायत टिटपुरी तहसील कठूमर में स्थित है,जो अपीलान्ट का 1/2 हिस्सा मुताबिक ईन्तकाल संख्या 2247 अपीलाण्ट के पिता हरिचन्द पुत्र रामस्वरूप निवासी टिटपुरी की कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रिकॉर्ड आराजी थी अपीलाण्ट के पिता हरिचन्द के स्वर्गवास के वाद पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट के वारिस के नाम की जॉच किये बिना ही बिना अपीलाण्ट को बिना बुलाये बिना सुने विधि विरूद्व तरीके से तस्दीक किया है, जबकि मृतक हरिचन्द के नाम व पहचान के दस्तावेज लिये ही उक्त इन्तकाल संख्या 2247 दिनांक 19.03.2020 खिलाफ कानून विधि विरूद्व तरीके से मृतक हरिचन्द के स्थान पर प्रमोद दत्त अंकित कर दिया है। जिस गलत नाम के इन्तकाल को एवं कानूनगौ हल्का ने अपीलाण्ट के नाम की जॉच किये बिना ही बिना अपीलाण्ट को बुलाये बिना सुने विधि विरूद्व तरीके से तस्दीक होने के कारण कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट को उक्त इन्तकाल संख्या 2247 के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 08.07.2024 को पटवारी हल्का के पास जाने तथा रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हुई, जिस पर अपीलाण्ट ने इन्तकाल संख्या 2247 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। आदेश दिनांक 19.03.2020 से

दिनांक 08.07.2024 तक की देरी कण्डोन किये जाने का उचित कारण है जिस देरी को कण्डोन करने के लिये अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पत्रावली के साथ पेश किया गया है विवादित इन्तकाल ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलाये बिना तथा प्रोसिडिंग रजिस्टर में दर्ज किये बिना एवं अपीलांट्स को बिना सुने बिना बुलाये तस्दीक किये जाने ,के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट पेश कर इन्तकाल संख्या 2247 दिनांक 19.03.2020 वाके टिटपुरी ग्राम पंचायत टिटपुरी तहसील कठूमर, अलवर निरस्त करने का निवेदन किया है।

अपीलाण्ट को उक्त दोषपूर्ण इन्तकाल संख्या 2247 के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 08.07.2024 को पटवारी हल्का के पास केडिट कार्ड की फाईल लगवाने पर नकल बनवाये जाने के दौरान एवं रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हुई, जिस पर अपीलाण्ट ने इन्तकाल संख्या 2247 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। ऐसे मामलों में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा देरी में नरमी का रूख अपनाया है। हस्तगत प्रकरण में अपील में देरी के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

प्रकरण में दफा 5 स्वीकार होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोडेंट दिनांक 07.02.2025 को वाबजूद रजिस्टर्ड डाक सूचना के अनुपस्थित आये जिनकी अनुपस्थिति दर्ज की गई।

अपीलाण्ट अभिभाषक की अपील पर बहस सुनी गयी। सर्वप्रथम हमें उक्त इन्तकाल संख्या 2247के बारे में जानकारी दिनांक 08.07.2024 को पटवारी हल्का के पास जाने तथा रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हुई जिस पर अपीलाण्ट ने इन्तकाल संख्या 2247 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को ही दोहराते हुए निवेदन किया अपीलाण्ट के पिता हरिचन्द के स्वर्गवास के वाद पटवारी हल्का ने अपीलाण्ट के वारिस के नाम की जॉच किये बिना ही बिना अपीलाण्ट को बिना बुलाये बिना सुने विधि विरूद्व तरीके से तस्दीक किया है, जबकि मृतक हरिचन्द के नाम व पहचान के दस्तावेज लिये ही उक्त इन्तकाल संख्या 2247 दिनांक 19.03.2020 खिलाफ कानून विधि विरूद्व तरीके से मृतक हरिचन्द के स्थान पर प्रमोद दत्त अंकित कर दिया है। जिस गलत नाम के इन्तकाल को एवं कानूनगौ हल्का ने अपीलाण्ट के नाम की जॉच किये बिना ही बिना अपीलाण्ट को बुलाये बिना सुने विधि विरूद्व तरीके से तस्दीक होने के कारण कारण खारिज किये जाने योग्य है।विवादित इन्तकाल ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलाये बिना तथा प्रोसिडिंग रजिस्टर में दर्ज किये बिना एवं अपीलांट्स को बिना सुने बिना बुलाये तस्दीक किये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलाण्ट पेश कर इन्तकाल संख्या 2247 दिनांक 19.03.2020 वाके टिटपुरी ग्राम पंचायत टिटपुरी तहसील कठूमर, अलवर निरस्त करने का निवेदन किया है।

हमने अपीलाण्ट अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अपीलाण्ट अधिवक्ता बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व दस्तावेजात के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होती है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

–::आदेश::–

अतः अपीलाण्ट अधिवक्ता बहस, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत टिटपुरी द्वारा स्वीकृत इंतकाल संख्या 2247 दिनांक 19.03.2020 वाके ग्राम टिटपुरी ग्राम पंचायत टिटपुरी को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार कठूमर को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर, अलवर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०